संख्या-18/2016/443आ.न.यो./9-8-16-4(1)आ.न.यो./2011

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 में नागर स्थानीय निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न स्थानीय नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाये जाने हेतु स्थानीय नागर निकायों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत-बेहट, जनपद-सहारनपुर को वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि तक इस शर्त के अधीन बढायी जाती है कि किसी भी दशा में उक्त दिनांक से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में उनके नाम के सम्मुख अंकित शासनादेश द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण कराकर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत किये गये कार्यो में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी :-

क्र. सं	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृत से सम्बन्धित शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपये लाख में)	स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर	न.पं. बेहट	149/2015/233आ.न.यो./9-8-15-01आ.न.यो.(बजट) /2015 दिनांक 04.02.2015	20.00	31.03.2016

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-18/2016/443(1)आ.न.यो./9-8-16 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्त्तर प्रदेश।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।